प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 06.10.2024

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा पीड़ित का फ्राड हुयी धनराशि–26,800/- रुपये वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक श्री आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम श्री वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते पीड़ित वीरेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुन राम निवासी ग्राम बरिला पोस्ट कम्हरिया थाना धीना जनपद चन्दौली को साइबर फ्राडर द्वारा लोन दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से साइबर फ्राड किया गया था। फ्राड के सम्बन्ध में पीड़ित वीरेन्द्र कुमार नाम पता उपरोक्त द्वारा थाना साइबर क्राइम में दिनांक 06.08.2024 को जाँच हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जाँच के क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए पीड़ित को 26,800/- रूपये वापस कराया गया। पीड़ित वीरेन्द्र कुमार उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली व थाना साइबर क्राइम टीम को धन्यवाद/आभार प्रकट किया गया है।,

नाम पता आवेदकः-

वीरेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुन राम निवासी ग्राम बरिला पोस्ट कम्हरिया थाना धीना जनपद चन्दौली

फ्राड धनराशि बरामदगी

वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 26,800/-

बरामद करने वाली पुलिस टीम ---

- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)
- आरक्षी अनिल कुमार
- आरक्षी आशुतोष भारद्वाज
- मो0 नौशाद

प्रेस नोट- थाना धीना

07 किलो 725 ग्राम गांजा के साथ एक शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली महोदय आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक सदर श्री विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री रघुराज के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार यादव के द्वारा गठीत टीम द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था कुशलता बनाये रखने व मादक पदार्थों के तस्करों पर नकेल कसने के उद्देश्य हेतु थाना धीना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.10.204 को दिन में चेंकिग की जा रही थी कि प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव मय फोर्स के कपसिया जाने वाले रोड पर स्थित धीना यात्री प्रतिक्षालय से अभियुक्त ब्रिजेश कुमार सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी छोटकी कोठिया पोस्ट उपाध्यायपुर ,थाना बक्सर जिला बक्सर बिहार के पास से सूटकेश में प्लास्टिक की पन्नी में लिपटा हुआ तीन वण्डल नाजायज गांजा तीनो पैकेटो में मिलाकर कुल गाँजे का वजन 7 किग्रा0 ,725 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय चन्दौली पर मु0अ0स0 87/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत मु0अ0सं0- 87/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना व जिला चन्दौली।

बरादमगी का विवरण –07 किलो 725 ग्राम नाजायज गाँजा बरामद होना

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

ब्रिजेश कुमार सिंह पुत्र मुन्ना सिंह निवासी छोटकी कोठिया पोस्ट उपाध्यायपुर ,थाना बक्सर जिला बक्सर बिहार उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक /समय –

कपसिया जाने वाले रोड पर स्थित धीना यात्री प्रतिक्षालय

दिनांक 05.10.2024 समय 17.05 बजें

गिरफ्तारी टीम का विवरण –

1.रमेश यादव प्र0नि0 थाना धीना जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 राजेश कुमार सिंह

3.का0 अनुराग सिंह

4. हे0का0 चन्दन कुमार गिरि

5.का0 अंकित वर्मा

6.म0का0 रानी सिंह

7.का0 शंकर कुमार

थाना चकरघट्टा पुलिस द्वारा गौ तस्करो के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान के दौरान 07 राशि गोवंशीय पशु व एक अदद पिकअप बरामद

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन श्री अनिल कुमार यादव के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सर्किल नौगढ़ श्री कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद मय हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 06.10.2024 को समय 06.05 बजे मुखबीर खास की सूचना पर शाहपुर तिराहा थाना चकरघट्टा के पास एक अदद पिकअप स0 BR45GA9684 की घेराबन्दी की गयी जिसमे चालक समेत 02 ब्यक्ति पिकअप से कूदकर जंगल के रास्ते भाग गये, बरामद पिकअप मे 07 राशि गौवंशीय पशु बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम चालक सहित दो ब्यक्ति नाम पता अज्ञात के बिरूद्व अभियोग पंजीकृत किया गया, फरार अभियुक्तगण के विरूद्व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

1- 07 राशि गोवंश

2- एक अदद पिकअप स0 BR45GA9684

गिरफ्तारी/बरामदगी में शामिल पुलिस टीम का विवरण

1. थानाध्यक्ष भूपेन्द्र कुमार निषाद थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।
2. हे0का0 वीरेन्द्र कुमार थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली ।
3. हे0का0 अजय कुमार यादव थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
4. का0 रुद्रप्रकाश मिश्रा थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट-दिनांकः 06.10.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□शरदीय नवरात्र के दृष्टिगत यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया 03 दिवस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 3696 वाहनों का चालान करते हुए 56,13,800/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, डॉ. ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा जनपद में 03 दिवस का विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 3696 वाहनों का चालान करते हुए 56,13,800/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लघन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-1616-   1616000

2.नो पार्किंग-611   494500

3.तीन सवारी-270   270000

4.सीट बेल्ट-76   76000

5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-69 144000

6.विधि नियमों का उल्लंघन (179)-266   530500

7.खतरनाक ढंग से वाहन चलाना-54   38000

8.काली फिल्म-18   36000

9.गलत नंबर प्लेट-183   955000

10.सेक्शन 3 तथा 4 का उल्लघंन-35   180000

11.बिना वैलिड फिटनेस के वाहन चलाना-31   147500

12.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना-222   122000

13.मागने पर परमिट सर्टिफिकेट न दिखा पाना/ परमिट शर्तों का उल्लंघन-111   472000

14.माडीफायड सायलेन्सर/वाहन-4   4000

15.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना-33   28000

16.मदिरा पीकर वाहन चलाना-2   20000

17.नाबालिग द्वारा वाहन चलाना-2   20000

18.नो एंट्री का उल्लंघन करना-2   40000

19.रिफ्लेक्टर टेप न होना-4   40000

20.ओवर स्पीड-8   24000

21.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-15   7500

22.मांगने पर प्रदषण सर्टिफिकेट न दिखा पाना-22   11000

23.वाहन में अधिक सवारी बैठाना-5   10000

24.सीज-37   327800

यातायात नियमों के उलंघन में 03 दिवस के विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-3696

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-56,13,800/-रूपयें। (छप्पन लाख तेरह हजार आठ सौ रूपयें)

प्रेस नोट दिनांक 06.10.2024

थाना सैयदराजा, जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान को दौरान एक पिकअप में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर ले जाए जा रहे कुल 08 राशि गोवंश को किया गया बरामद।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद मे शराब व गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी के कुशल नेतृत्व मे तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन से कुल 08 राशि गोवंश की बरामदगी की गयी। बरामदगी के आधार पर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली पर मु.अ.सं. 177/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रू.नि.अधि. का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 06.10.2024 को थाना सैयदराजा पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप में कुछ संदिग्ध वस्तु वाराणसी की तरफ से चन्दौली होते हुए बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर काले शहीद बाबा मजार के पास NH2 हाइवे पर बैरिकेडिंग लगाकर चन्दौली से बिहार के तरफ जाने वाले संदिग्ध वाहनो की चेकिंग करना प्रारंभ किया गया। कुछ देर बाद पुलिस चेकिंग (बैरिकेटिंग) प्वाइंट से 100 मीटर पहले ही एक पिकअप एकांत में खडी दिखाई दी संदिग्धता के आधार पर मौजूदा पुलिस टीम द्वारा उक्त पिकअप वाहन की तलाशी ले गयी तो उक्त वाहन में गोवंश लदे हुए पाये गये। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसगंत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी का विवरण:-

1.08 राशि गोवंश जिसमे 02 राशि साड़ व 06 राशि गाय

2.एक पीकअप वाहन संख्या अज्ञात

बरामदगी में पुलिस टीम का विवरण-

1.निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी- प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उप निरीक्षक- रामप्यारे चौधरी थाना सैयदराजा चन्दौली ।

3.हे.का. जयप्रकाश सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली ।

4.हे0का0 गयाप्रसाद थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।

5.का. धनन्जय यादव थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली ।